महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–240 / 39–3–14–1(399) / 08टी0सी0

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव /
समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष /
समस्त आयुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अनुभाग–3 लखऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2014

विषय– सतर्कता जॉच / विवेचना के परिणामस्वरूप अभियोजन की संस्तुतियों पर प्रभावी / समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि लोकसेवकों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार तथा अन्य कदाचार की शिकायतों की जॉच अथवा अनुसंधान करने के लिए प्रदेश में एक विशेष पुलिस दल सतर्कता अधिष्ठान के नाम से स्थापित है। इस अधिष्ठान को जॉच के लिए मामले शासन के सतर्कता विभाग द्वारा अभिदिष्ट किये जाते हैं। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा विवेचना करने के पश्चात् अभियोजन की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति भी राज्य सरकार से की जाती है जिस पर सतर्कता विभाग द्वारा विचार कर अभियोजन की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाता है तथा संबंधित लोकसेवकों के विरूद्ध अभियोजन की विधिक पूर्व स्वीकृति उपलब्ध कराने का अनुरोध प्रशासकीय विभागों से तथा आरोप पत्र योजित करने की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध सतर्कता अधिष्ठान से किया जाता है।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सतर्कता जॉच से संबंधित प्रकरणों को प्रभावी बनाये जाने तथा उसमें अन्तर्निहित समय–सीमा को निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन के हस्ताक्षर से निर्गत शासनादेश सं0–3287 / 39–4–90–42(373) / 87, दिनांक 15.9.90 द्वारा सतर्कता जॉच के परिणामस्वरूप अपचारी लोकसेवकों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही को गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सतर्कता जॉचोपरान्त प्राप्त जॉच आख्या / अन्वेषण आख्या के फलस्वरूप अभियोजन की विधिक पूर्व स्वीकृति

प्रदान किये जाने के प्रकरणों में यथोचित निर्णय लेने हेतु समयसीमा निर्धारित की गयी है।

सतर्कता विभाग द्वारा उपर्युक्तानुसार निर्गत शासनादेश में निर्धारित स्पष्ट प्रक्रिया एवं समयसीमा के बावजूद ऐसे मामले संज्ञान में आये है जिसमें सतर्कता विभाग द्वारा अपचारी लोकसेवकों के विरूद्ध अभियोजन की संस्तुति किये जाने के उपरान्त भी सक्षम स्तर से अभियोजन स्वीकृति के आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत नहीं किये गये हैं जबकि इस संबंध में सतर्कता विभाग/सतर्कता अधिष्ठान द्वारा बराबर अनुस्मृत भी कराया जाता रहा है।। आप सहमत होंगे कि अभियोजन जैसे संवेदनशील एवं गम्भीर मामलों में इस प्रकार की उदासीनता से जहॉ एक ओर दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होने में अत्यधिक विलम्ब होने से सतर्कता जॉच का उद्देश्य ही विफल होने लगता है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण/कठोर अंकुश लगाने की शासन की नीति भी कुप्रभावित होती है।

वर्णित स्थितियों में आपसे अनुरोध है कि सतर्कता विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु संस्तुत प्रकरणों में उक्त निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायो को भी अपने स्तर से कठोर निर्देश देने तथा निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकरणों में किसी भी तरह की शिथिलता को शासन द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या–240(1)/39–3–14–1(399)/08टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0, लखनऊं।
2. सतर्कता विभाग के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव